भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2751

उत्तर देने की तारीख: 04.08.2026

**अनुसूचित जाति श्रेणी के अंदर उप-वर्गीकरण**

**2751. श्री शेर सिंह घुबाया:**

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियों के अंदर प्रतिशत के आधार पर उप-वर्गीकरण तथा समाज के विभिन्न वर्गों को इसका लाभ सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों को अधिकार प्रदान किया है और क्या पड़ोसी राज्य हरियाणा द्वारा उक्त निर्णय के साढ़े तीन माह के अंदर दिनांक 13 नवम्बर, 2024 को अधिसूचना जारी की गयी है तथा तेलंगाना द्वारा उक्त निर्णय की अनुपालना में दिनांक 14 अप्रैल, 2025 को अनुसूचित जातियों के अंदर उप-वर्गीकरण लागू किया गया है;

(ख) क्या पंजाब सरकार का अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वाधिक वंचित एवं पिछड़े वर्गों तक आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 1 अगस्त, 2024 के निर्णय को लागू करने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त आदेश के लागू किए जाने की संभावना कब तक है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री रामदास आठवले)**

**(क):** माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य (सिविल अपील संख्या 2317/2011) के मामले में दिनांक 01.08.2024 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ माना है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण किया जा सकता है।

**(ख):** पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य (सिविल अपील संख्या 2317/2011) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व, पंजाब राज्य ने अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए सेवाओं में आरक्षण और उससे जुड़े

मामलों के लिए 'पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006' अधिनियमित किया है।

**(ग) और (घ):** प्रश्न नहीं उठता।

*****